



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 02—अ0प्र0(2अ) / पा0का0लि0 / 2014

दिनांक: 06 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिकारी अभियन्ता (वै0 एवं यां0) को अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0—3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता, (वै0 एवं यां0) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या—04 के अनुसार निगम को आबण्टित/तैनात किया जाता है:-

| क्र0 सं0 | नाम/अभियन्ता संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक | अधिकारी अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान | अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री मनोज कुमार अग्रवाल 86086, लखनऊ 30.06.2022 | अधिकारी अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, परिविनिलि, मेरठ | प्रबन्ध निदेशक, परिविनिलि, मेरठ को आबण्टित। |

2— उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निवेशित याचिका संख्या ए—नम्बर—38372 / 2013 —अनुप चन्द्र एवं 5 अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी0 एवं 34 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।

3— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79 / 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21—3—2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4— आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

5— उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

6— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0—5910—गोपन/पाकालि(06)—2001 दिनांक 11—6—2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आव्याहा का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

7— उपरोक्त अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताकम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्तत हो जाएगा।

*मा0प्र0
6/1/2014*

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: ०२—अ०प्र०(२अ) / पा०का०लि० / २०१४ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- २- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०वर टा०का० लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- ३- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केरल को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- ४- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-२)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०न्सृमिशन का०लि०।
- ५- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ६- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ७- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ८- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

१८.०३.२०१४
६/१/२०१४
(प्रफुल्ल चन्द्र पन्त)
उप सचिव